कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर
रिंग रोड़, जोगीवाला, देहरादून–248001
दूरभाष / फैक्स 0135–2672069 ई–मेल eeujsraipur@gmail.com eerai-ujs-uk@nic.in

पत्रांक 860 /वन भूमि हस्तान्तरण/2020–21 दिनांक 18/11/21

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

विषयः– जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आपके पत्रांक संख्या–1722/12–1 मसूरी दिनांक 03.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें। के क्रम में अवगत कराना है कि शर्त संख्या 1 एवं 2 के अनुपालन में चैक कमांक संख्या–616458 दिनांक 16.11.2021 से परिवेश पोर्टल से उत्पादित चालन के सापेक्ष रू0 187463.00 की धनराशि UTTARANCHAL_CAMPA के नाम से आर0टी0जी0एस0 किया गया है तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रेषित पत्र सख्या–1342(1)X–3–21/2(23)2021 दिनांक 06.10.2021 में प्रश्नगत प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्ते प्राप्त हुई है। विधिवत स्वीकृति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन आख्या विन्दुबार निम्नवत् है।

क्र0 सं0	शर्तें	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 187463.00, कारपोरेशन बैंक लोदी ब्रांच ब्लाक 11, सी०जी०ओ० काम्पलैक्स फेज 1, लोदी रोड़ नई दिल्ली 110003, खाता संख्या 1508953121733893 एवं IFSC CODE UBIN0903710 में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (आर०टी०जी०एस० की प्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण न्यायालय द्वारा मा० उच्चतम प्रयोक्ता अ के रिट पिटीशन (सिविल) के रिट 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०–566 एवं अन्तर्गत अ भारत के पत्र पत्र संख्य संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02. जमा कर 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या – 5 – 3 रू0 187463.00 (एन०पी०वी०) जमा कर दी गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण

		द्वारा जमा की जायेगी । (प्रमाण पत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय बिन्ट के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पपलैक्स फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली– 1100033 में जमा ने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धानराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु संख्या (4) के अनुपालन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि शर्त संख्या 1 एवं 2 में आन लाईन पोर्टल में हस्तान्तरित/जमा करा दी गयी है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं के भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू – वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को सलंग्न कराया	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को सलंग्न की गयी है ।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार मान्य होगा ।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की नही की जायेगी।

9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम् कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम् कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

(डी०एस० कुंवर)
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर

रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून–248001
दूरभाष / फैक्स 0135–2672069 ई–मेल eeujsraipur@gmail.com eerai-ujs-uk@nic.in

पत्रांक 859/वन भूमि हस्तान्तरण / 2020–21 दिनांक 18/11/21

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

विषयः– जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– शासनादेश संख्या–1342(1)X–3–21 / 2(23)2021 दिनांक 06.10.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्थित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी तथा जारी सैद्धांतिक में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत कराया गया।

शर्त संख्या 1 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० 187463.00, कारपोरेशन बैंक लोदी ब्रांच ब्लाक–11 सी०जी०ओ० काम्पलैक्स फेज 1 लोदी रोड नई दिल्ली 110003 खाता संख्या 1508953121733893 एवं IFSC CODE UBIN0903710 में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (आर०टी०जी०एस० की प्रति संलग्न)

शर्त संख्या 2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3 / 2007– एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान धनराशि रू0 187463.00 (एन०पी०वी०) जमा कर दी गयी हैं।

शर्त संख्या 3– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न)

शर्त संख्या 4– बिन्दु संख्या (4) के अनुपालन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि शर्त संख्या 1 एवं 2 में आन लाईन पोर्टल में हस्तान्तरित / जमा करा दी गयी है।

शर्त संख्या 5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतिया एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। शर्त संख्या 8 प्रयोक्ता एजन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखा / प्रमाण पत्रों को सलग्न की गयी है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम् कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम् कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

(पी0एस0 कुंवर)
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-11-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND JAL SANSTHAN RAIPUR
Application No.	53121733893
MoEF/SG File No.	2(23)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Ring Road, Raipur.Dehradun
Amount(in Rs)	187463/-

Amount In Words :One Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508953121733893 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy o Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR NO ↓

PUNBH21320117813

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank Raipur, Dehradun रायपुर, देहरादून

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-11-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND JAL SANSTHAN RAIPUR
Application No.	53121733893
MoEF/SG File No.	2(23)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Ring Road, Raipur.Dehradun
Amount(in Rs)	187463/-

Amount in Words :One Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508953121733893 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-11-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND JAL SANSTHAN RAIPUR
Application No.	53121733893
MoEF/SG File No.	2(23)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Ring Road, Raipur. Dehradun
Amount(in Rs)	187463/-

Amount in Words :One Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508953121733893 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

challan checked and verified

M.B.No-76(

Page no. 1

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Passed cheque issued Gr. No. 71 at 16/8/19

Passed For Payment For Rs. 187463=00
Rs. One lakh eighty seven thousand four hundred sixty three

AA DA EE

PAID
Cheque No. 616458 Date 16.11.21
Rs. 187463=00
Sh. Yourself For RTGS

AA DA EE

(for Bank Receipt turn the page)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

नाथनपुर (देहरादून) उत्तराखंड (160310)
NATTHANPUR (Dehradun) Uttarakhand-248001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0160310

A/c Payee Only

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRA

16112021
D D M M Y Y Y Y

PAY Your Salf for RTGS या धारक को OR BEARE

रुपये RUPEES One lac Eighty Seven thousand four hundred sixty three only—

अदा करें ₹ 187463=00

खाता सं. A/c. No. 1 6 0 3 चालू खाता CURRENT A/c

16032191019593

WKE

PLEASE SIGN ABOVE
अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

⑈616458⑈ 248024061⑆ 29

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2021

विषयः जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.625 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–822/FP/UK/WATER/121733/2021, दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.625 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति**, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3.1(b) में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो /प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्याः 1341/2 (1)/X-3-21/2(23)/2021, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद– देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

6/x/21

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

शुद्धि पत्र

संख्याः 1488/X-3-21/2(23)/2021

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2021

विषयः जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–1342/X-3-21/2(23)/2021 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश निर्गत किए गए हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के विषय में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.0625 है0 के स्थान पर त्रुटिवश 0.625 है0 अंकित किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में वन भूमि के क्षेत्रफल को 0.625 है0 के स्थान पर 0.0625 है0 के अनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– शासन द्वारा निर्गत उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.10.2021 की शेष शर्तें/नियम यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

संख्याः (1)/X-3-21/2(23)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद– देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में बांसवाड़ा के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित ऊर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु अपेक्षित (25.00 X 25.00= 625 वर्ग मी0 अर्थात 0.0625 हे0 आरक्षित वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 1722 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 3 / 11 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून में बांसवाड़ा में ओवर हैड टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 है0 वन भूमि का गै वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध मे (FP/UK/WATER/121733/2021)

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड सरकार की पत्र संख्या-1342(1)/X-3-21/2(58)2021, दिनांक-06 अक्टूबर, 2021 1488/X-3-21/2(23)/2021, दिनांक-01 नवम्बर 2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-1020/FP/UK/WATER/121733/2021, दिनांक-21.10.2021 ।

महोदय,

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी हैं। उक्त शासनादेश में उल्लेखित शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459/3-5-2 P.O., दिनांक-01.07.2021 में उल्लिखित वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित दर के अनुसार धनराशि एवं शर्त संख्या-2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क0सं0	मद	मात्रा	दर	देय धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5
1.	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	100 वृक्ष	1464.00/वृक्ष	1,46,400.00
2.	एन0पी0वी0 (ईको श्रेणी-V, घनत्व-0.1)	0.0625 है0	6,57,000.00/है0	41062.50 (Say)= 41063.00
		योग :-		1,87,463.00
		₹ 1,87,463.00 (एक लाख सत्तासी हजार चार सौ तिरसठ रूपये मात्र)		

अतः उक्तानुसार देय धनराशि का भुगतान करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करते हुए संगत दस्तावेजों के तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

संख्याः- /12-1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

(50)

परियोजना का नामः– **जनपद देहरादून में बांसवाड़ा के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित ऊर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु अपेक्षित (25.00 X 25.00= 625 वर्ग मी0 अर्थात 0.0625 हे0 आरक्षित वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
शाखा रायपुर देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरण ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

(73)

Annexure - 1

FORM – 1
For Linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No............

Dated 26/12/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Complaince of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.0625 Hactares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Jal Sansthan (Name of user agency) for Over head Tank (Purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Balawala villege in D. dun Tehsils.

It is further certified that :-

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.0625 **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), Sub-division level committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure ... annexure .....

b. The divesion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c. The proposal does not invole recognised right of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and Official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun

Annexure II

FORM –II
(For Project other than Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No............ Dated ..26/12/2020..

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Complaince of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that ~~0.40~~ 0.0628 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ....(Name of user agency) for ..U.J.S.................. (Purpose for diversion of forest land) in ..Dehradun.. district falls within jurisdiction of ..Balawala...... Villages in ..D.dun.....Tehsils.

It is further certified that:-

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.40 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), Sub-division level committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
c. The each of concerned Gram Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Karbari Grant.
d. The discussion and decision on such proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha have given their consent to it.
e. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been comleted and the Gram Sabha have given their consent to it.
f. The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities where application have been specifically safe guarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

(Full name and Official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun

(75)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT....Dehradun......(UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constitute under schedule tribes & other Traditional forest dwellers (recognitaion of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of D. dun district constituted under FRA, 206 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss...Ashish Srivastav

Deputy commissioner ...Dehradun......on dated ..26/12/2020....at time 3:00PM at ....which application claiming rights in..Banswada, Balawala .area measuring ..0.0625...... Hect has for the construction of......O.H.T.........

After sceutiny if the document and detailed discussion, no objection/claims were found have been made & hence District level committee recommend the above cccase for diversion of land for the said purpose.

Place:...Dehradun

Dated:..26/12/2020....

Deputy commissioner-cum-chairman
District level committee

District Magistrate
Dehradun

(76)

कार्यालय –जिलाधिकारी देहरादून।

जनपद–देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 26/12/2020 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में ऊर्ध्व जलाशय के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.0625 है0 वन भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों सें सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.0625 है0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी देहरादून की बैठक का कार्यवृत संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	जिलाधिकारी देहरादून District Magistrate Dehradun

सं0................................/ ..../दिनांक ....

प्रतिलिपि–.............................देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

(77)

कार्यालय –उप जिलाधिकारी देहरादून।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.0625 है0 आरक्षित वन भूमि का जल संस्थान देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –देहरादून) की दिनांक 22/10/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं निमय 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल राम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री गोपाल राम बिनवाल उप जिलाधिकारी सदर देहरादून अध्यक्ष।
2. श्री सुभाष चन्द्र वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून सदस्य।
3. श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी डो0 सदस्य।
4. श्रीमती अतेश्वता पवार बी0डी0सी0 क्षेत्र पार्षद वार्ड-99 नगरनिगम सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननयी सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननयी सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित .... के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.0625 है0 आरक्षित वन भूमि का जल संस्थान/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति में उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.0625 है0 आरक्षित वन भूमि का जल संस्थान देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

तहसील सदर
जनपद देहरादून

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

तहसील सदर
जनपद देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून मसूरी वन प्रभाग
सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - डोईवाला जनपद - देहरादून उत्तराखण्ड
पार्षद वार्ड 99, नगर निगम, देहरादून

78

वन अधिकार अधिनियिम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– वार्ड सं-99 नकरौंदा

तहसील देहरादून

जिला देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद–देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के अन्तर्गत ऊर्ध्वाधर जलाशय के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.0625 है0 आरक्षित वन भूमि का उ० प्र० रायपुर देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नकरौंदा द्वारा दिनांक 19.12.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में अदिवास अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल सोयम भूमि (जंगल–झाड़ी) वन स्वरूप भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नकरौंदा के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित वन भूमि को उ० प्र० रायपुर देहरादून/प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अजेयता पवार
पार्षद
वार्ड 99, नकरौंदा
नगर निगम, देहरादून

ह0	ह0
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/पाषर्द नगर निगम
मुहर सहित	मुहर सहित

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में बांसवाड़ा बालावाला में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.0625 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरण ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होनें अथवा असंतोषजनक अनुपालन होनें की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार मान्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में बांसवाडा के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित ऊर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु अपेक्षित 25.00 X 25.00=625 वर्ग मी0 अर्थात 0.0625 हे0 आरक्षित वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0 /
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रैंज
मसूरी वन प्रभाग

ह0 /
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून